

an>

Title: Introduction of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2016.

खान मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): महोर्य, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति: प्राज्ञ यह है ०:

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

-